बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मिसल जाब्ता। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील मुल कार्य मेयाद संलग्न रहे।

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 46/2004

तारीख दायरा 25.09.2004

उनवान

मृतक भंवर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज घासी लाल कौम बलाई निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान जरिये कायम मुकामान –

1. चिरोंजीलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल)
2. पप्पूलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल)
3. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल)
4. निर्मला पुत्री भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल)
5. किशना पुत्री भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल)
6. गुलाब पत्नि भंवरलाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक भंवरी बाई पत्नि आनन्दी लाल जाति किराड निवासी ग्राम मायरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान जरिये कायम मुकामान –

1/1 ओमप्रकाश पुत्र माता भंवरी बाई पिता आनन्दीलाल

1/2 जगदीश पुत्र माता भंवरी बाई पिता आनन्दीलाल

1/3 जोधराज पुत्र माता भंवरी बाई पिता आनन्दीलाल

1/4 लीलाधर पुत्र माता भंवरी बाई पिता आनन्दीलाल

1/5 नरेश पुत्र माता भंवरी बाई पिता आनन्दीलाल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद।
3. एसबीबीजे बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सांगोद।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रार्थीगण)

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील अप्रार्थीगण)

दिनांक :– 29.04.2022

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खातेदारी में वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में मालग्राम कोटडी तह0 सांगोद में निम्नलिखित विवरण की आराजी दर्ज रिकार्ड है –

विवरण आराजी मालग्राम कोटडी

खाता सं0	खसरा नं0	रकवा
नई 177	179	0.19 है0
पुरानी 164	182/1054	1.10 है0

कुल 2 किता कुल रकबा 1.29 हैक्टर आराजी

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी को 12.11.79 को आवंटन हुई थी, एवं आवंटित आराजी पर मौके पर दखल दिया था एवं 30.05.1992 को नामान्तरण सं0 350 से खातेदारी अधिकारी प्रदान किये थे। जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 में उक्त इन्तकाल खातेदारी का अंकित है। प्रार्थी को माल ग्राम कोटडी की खसरा नं0 मि0 60 रकबा 8 बीघा आवंटित हुई थी। प्रार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन कृषक होने से उक्त

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

...माल ग्राम कोटडी की खसरा नं0 मि. 60 में से रकबा 8 बीघा भूमि आवंटन हुई ... प्रार्थी द्वारा काफी मेहनत कर व पैसा विनियोजित कर उक्त आवंटित आराजी को ... योग्य बनाया है।

माल ग्राम कोटडी की खसरा नं0 60 रकबा 8 बीघा की आराजी प्रार्थी को करीब 30–40 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी एवं प्रार्थी को आवंटित रकबे पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर दखल दिया गया था तब से ही प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी काबिज काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहा है। मालग्राम कोटडी में ही खसरा नं0 60 एवं खसरा नं0 70 के रकबे आपस में मिले हुए व आस–पास स्थित रहें हैं। उक्त रकबों में कई व्यक्तियों को भूमियां आवंटित हुई है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस में कहीं पृथक–पृथक नहीं दर्शा रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त खसरा नम्बरान में से आराजीयात आवंटित मुताबिक राजस्व रिकार्ड हुई है परन्तु अप्रार्थी क्रमांक 1 उसको आवंटित रकबे पर आवंटित आराजी पर आवंटन के बाद से आज दिनांक तक कभी काबिज काश्त नहीं रही है। प्रार्थी को खसरा नं0 60 की 8 बीघा आराजी आवंटित हुई थी उसे उस समय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिस स्थान पर दखल दिया गया उस स्थान पर लगातार प्रार्थी 30–40 वर्ष से काबिज काश्त है। प्रार्थी बिना पढा–लिखा व गरीब तबके का व्यक्ति है उसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन के बाद जिस जगह दखल दिया गया व वर्तमान सेटलमैन्ट हाल के बाद बने खसरा नं0 187 रकबा 1.63 है0 एवं खसरा नं0 193 रकबा 0.32 है0 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में खसरा नं0 187 अप्रार्थी क्रमांक 1 के खाते में दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नं0 193 सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आवंटित आराजी जिस पर प्रार्थी 30–40 वर्ष से काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीनी को पिछले वर्ष अपने खातेदारी में अंकित होने की जानकारी होने के बाद अप्रार्थी क्रम 2 जो कि ग्राम लक्ष्मीपुरा का निवासी है एवं इलाके का प्रभावशाली व्यक्ति है जो अप्रार्थीनी का करीबी रिश्तेदार है, उसके माध्यम से होने के बाद से ही अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 प्रार्थी को उसके निरन्तर 32–33 वर्षों से कब्जे में चली आ रही खातेदारी की आराजी से बेदखल करने एवं उसे खुर्द–बुर्द व विक्रय करने पर आमादा है एवं इसी तरह इस वर्ष खसरा नं0 193 की आराजी 0.32 है0, जिस पर भी प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, उससे बेदखल करने व उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने हेतु

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

...मांक 3 द्वारा उसे 06.01.2014 को नोटिस दिया गया है एवं उक्त खसरा नं0 ...0.32 है0 रकबे से अप्रार्थी कमांक 3 प्रार्थी को बेदखल करने एवं मनमाना ...माने पर आमदा है, जबकि प्रार्थी किसी भी प्रकार से अतिकमी की हैसियत में ...प्रार्थी को विधि अनुसार करीब 30-40 वर्ष पूर्व 8 बीघा कृषि भूमि आवंटित ...ही पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में ...आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 ...के बल पर व कानून हाथ में लेकर उसे उसके 30-40 वर्ष से निरन्तर कब्जे ...में चली आ रही आराजी से उसे विधि विरूद्ध बेकब्जा नहीं करे, अप्रार्थी क्रमांक 1 ...खाते में नाम होने मात्र का फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ...खसरा नं0 187 की 0.96 है0 को खुर्द-बुर्द व विक्रय नहीं करें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे। प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थी क्रमांक 3 प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त व बहैसियत आवंटित खातेदार की हैसियत से चली आ रही खसरा नं0 193 की 0.32 है0 आराजी से प्रार्थी को बेदखल दौराने वाद नहीं करें, न ही प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर उससे मनमाना जुर्माना वसूल करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रार्थी के पक्ष में व विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 3 फरमाई जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है -

प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खाते की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, मौके पर दखल दिये जाने बाबत कोई रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, प्रार्थी की आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है, प्रार्थी ने कभी भी आराजी काश्त नहीं की है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, प्रार्थी को कब्जा दिये जाने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है, प्रार्थी ने कभी भी आराजी काश्त नहीं की है, अप्रार्थी को आवंटित आराजी प्रारम्भ से ही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
... (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जे में चली आ रही है, अप्रार्थीगण ने अपने को आवंटित आराजी को हांक जोतकर तैयार की है तथा इस वर्ष भी खसरा नं0 187 की 1.63 हैक्टर में से 0.59 हैक्टर आराजी एवं खसरा नं0 188 की 0.80 हैक्टर आराजी में सोयाबीन एवं तिल्ली की फसल बोई थी, परन्तु बरसात अधिक होने से सोयाबीन एवं तिल्ली की फसल नष्ट हो गई, जिससे अप्रार्थीगण ने उक्त सोयाबीन व तिल्ली की फसल को हांक जोतकर सरसों की फसल बोई थी, उक्त सरसों की फसल में इरिगेशन के इंजन से 2000 रू. देकर नदी से पानी पिलाया था, जो अप्रार्थी के मजदूर राजेन्द्र व बद्रीलाल ने पिलाया था, अप्रार्थीया अपने को आवंटित शुदा हाल खसरा नं0 187 की 1.63 हैक्टर में से 0.59 हैक्टर आराजी काश्त हेतु तैयार की है, तथा शेष आराजी आज भी अप्रार्थीगण ने अपने जानवरों आदि के चराई हेतु छोड रखी है, जिसमें अंग्रेजी बबूल खडे हुए है, अप्रार्थी खसरा नं0 193 से कोई संबंध नहीं है, अप्रार्थीया खसरा नं0 187 की 0.59 हैक्टर व खसरा नं0 188 की 0.80 हैक्टर पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा खसरा नं0 187 की शेष आराजी आज भी जानवरों के चराई हेतु पडत पड़ी हुई है, जिसमें अप्रार्थी के जानवर चर रहे हैं। प्रार्थी अपने खाते की आराजी की आड में धारा 3 एससी/एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर अप्रार्थीया के खाते की आराजी पर कब्जा करने के प्रयास में है तथा ताकत के बल पर अप्रार्थीया की फसल काटकर ले जाने पर उतारू है।

प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने कभी भी मौके पर आराजी काश्त नहीं की है, अप्रार्थीया अपने खाते की आराजी को नियमानुसार काश्त कर रही है तथा अप्रार्थीया को अपने खाते की आराजी को काश्त करने व खुर्द–बुर्द करने एवं अपनी सुविधानुसार काम में लेने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीया ने खसरा नं0 193 की आराजी से प्रार्थी को कभी भी बेदखल करने का प्रयास नहीं किया है। तहसीलदार सांगोद को नियमानुसार खसरा नं0 193 की सरकारी भूमि काश्त करने पर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, पटवारी हलका की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नं0 187 की 0.96 हैक्टर आराजी वर्तमान में काश्त ही नहीं हो रही है, केवल खसरा नं0 187 की 0.59 हैक्टर आराजी काश्त हो रही है। खसरा नं0 60 की 8 बीघा आराजी से अप्रार्थीया का कोई संबंध नहीं है, प्रार्थी का आवंटित आराजी अप्रार्थीया के खाते की आराजी नहीं है, अप्रार्थीया की आराजी पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी ने अपने को आवंटित शुदा आराजी पर आज तक कब्जा नहीं किया है, प्रार्थी अपने को आवंटित

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जी आड़ में अप्रार्थीया की आराजी पर कब्जा करने के प्रयास में है, जिसका अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीया को अपने खाते की आराजी काश्त करने बेचान-कुर्द, विक्रय करने का पूर्ण कानूनी अधिकार होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने का कोई प्रावधान नहीं है, प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।

प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी ताफैसला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि अप्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी के बाबत किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो अप्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं होगी।

प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है।

प्रार्थी को अपने खाते की आराजी के बाबत ही स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, खसरा नं0 187 की 1.03 आराजी प्रार्थी ने अपने जानवरों के लिए पडत रख रखी है, जिससे अप्रार्थीगण के जानवर आदि चरते हैं। उक्त तथ्य पुष्टि पटवारी हलका की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थी मिथ्या व झूठे तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीया की आराजी पर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ख.न. 187 की 0.96 है. व 193 की 0.32 है. पर आवंटित होने के दिनांक से ही काबिज काश्त है। काबिज काश्त होने के आधार पर ही प्रार्थी को पटवारी हलका की जांच के बाद वर्ष 1992 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी दिये गये परन्तु इसी दौरान जब सेटलमैन्ट हुआ तो सेटलमैन्ट के कर्मचारियों ने बिना पूछे और बिना मौके पर गये नए खसरा नम्बरान कायम कर दिये, परन्तु प्रार्थी आज भी ख.न. 187 की 0.96 है. व 193 की 0.32 है. पर काबिज है। ये ख.न. 2013 में तथाकथित अप्रार्थीया भंवरी बाई बेवा रामचन्द्र के नाम से रिकार्ड में आ गई जबकि यह महिला आवंटन की पात्र ही नहीं थी क्योंकि यह महिला जो अपने आप को भंवरी बेवा रामचन्द्र जाति किराड निवासी लक्ष्मीपुरा कोटडी बताती है यह वास्तव में रामचन्द्र की बेवा नहीं रामचन्द्र की पुत्री थी और यह रामचन्द्र भूतपूर्व सरपंच था जिसने साज–बाज होकर अपनी पुत्री के नाम प्रार्थी के कब्जे की भूमि आवंटन करा दी। अप्रार्थी सं. 2 भंवरी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भंवरी बाई का विवाह ग्राम मायरा तहसील खानपुर के आनन्दी लाल
हुआ है। भंवरी बाई के पिता रामचन्द्र और पति आनन्दीलाल 100–200
जागीदार है। वर्ष 2013 में भंवरी बाई ने भुजबल के आधार पर प्रार्थी को
का प्रयास किया परन्तु उस समय ग्रामीणजनों के सहयोग से वह प्रार्थी को
से उसे बेदखल नहीं कर पाई। इसके बाद दिनांक 24.10.2013 को भूमि
हुई जिससे सेटलमैन्ट द्वारा की गई गडबडी का प्रार्थी को इल्म हुआ। यह
प्रार्थी को पुराने ख.न. 60 में 8 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिससे अन्य
साथ ख.न. 179, 182/1054 एवं अन्य नम्बर बने बने थे जो प्रार्थी की
में दर्ज है एवं अप्रार्थीया को पुराने ख.न. 63 में भूमि आवंटित हुई थी जिससे
एवं अन्य नम्बर बने। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि पटवारी हलका द्वारा
प्रार्थी को कब्जा 187 एवं 193 के खसरा नम्बर वाले स्थान पर दिया गया था।
पुराने ख.न. 60 एवं 63 पास–पास थे इसलिए सेटलमैन्ट से नम्बर कायामी में
हुई है। प्रार्थी का पिछले 35–40 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है परन्तु
बाई ने आदिनांक तक न्यायालय में बेदखली का दावा नहीं किया है। ख.न. 193
2 बीघा भूमि पर प्रार्थी काबिज है परन्तु सेटलमैन्ट द्वारा इसे सिवायचक दर्ज कर
गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एल. आर. एक्ट की धारा 91 के तहत
कार्यवाही की जा रही थी जिसके विरूद्ध भी प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। राजस्व
मण्डल ने अपने कई निर्णयों में यह माना है कि यदि सेटलमैन्ट द्वारा आवंटित भूमि की
किस्म अलग दर्ज कर दी गई हो तो कब्जाधारी आवंटी से जुर्माना वसूल नहीं किया
जावे। इस भूमि पर लगातार प्रार्थी का कब्जा है। वर्ष 2014 में प्रार्थी के पक्ष में एकतरफा
अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होने के बाद दिनांक 25.6.2014 को पटवारी हलका द्वारा पुनः
पैमाईश की गई एवं पैमाईश रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित है कि ख.न. 187 की खातेदार
भंवरी बाई है परन्तु उस पर कब्जा भंवरलाल का है। इस प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीया
के मध्य लडाई–झगडा होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए थे जिसमें प्रार्थी के
विरूद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायालय सांगोद ने भंवर लाल का
मौके पर कब्जा होने के कारण धारा 447, 379 भा.द.स. का अपराध बनना नहीं पाया था
एवं प्रसंज्ञान के स्तर पर ही अपराध से उन्मोचित कर दिया था। प्रकरण में अप्रार्थीया के
वारिसान ने दौराने वाद स्थगन के बावजूद भूमि दीगर लोगों को बेचान कर दी है।
प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 6 समर्थन पत्र क्रमशः चिरौंजी लाल,
सत्यनारायण, रामेश्वर, छीतरलाल, कवंरलाल एवं हरिप्रसाद दाधीच के पेश कर कहा कि

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

...गों ने भी अपने शपथ पत्रों में यह कहा है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर ...दिनांक तक काबिज है। इसी के साथ न्यायिक दृष्टांत पेश किए जिसमें ...न्यायालय के निर्णय 2004 DNJ (SC) पेज 263 के अनुसार –

"यदि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना टाईटल पेश करने में असफल ...तु उस भूमि पर उसका कब्जा हो तो उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की ...है। सैटल्ड पजेशन चाहे उसका टाईटल कब्जाधारी के पास ना हो तो भी ...द्वारा प्रोटेक्टेड है।"

...प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय 2020(2) RRT पेज 1081 के ...नुसार –

"रिकार्डेड टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जा सकती ...यदि आवश्यक तीनों अव्यव स्थापित किए गए।"

...सी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय 2018–19 RRT पेज 531 के अनुसार –

"पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार वाद में निहित होगें– वाद के ...निस्तारण तक संपत्ति का सरक्षंण न्यायसंगत है– निर्णीत, मौके पर राजस्व रिकार्ड में ...पक्षकार यथावत स्थिति बनाए रखेगें।"

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय 2018–19 RRT पेज 537 के अनुसार –

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा– प्रार्थना पत्र खारिज किया – राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया – पक्षकार खातेदार सहीराम के वारिसान है – वसीयत वैध या कूटरचित, प्रश्न विचारण के दौरान निर्णीत किया जा सकता है – प्रश्नगत संपत्ति को संरक्षित करने हेतु रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है – प्रार्थीगण पी तथा अन्य भूमि पर विधिक कब्जा साबित करने की साक्ष्य पेश करने में असफल रहे– निर्णीत आदेश न्यायसंगत है।"

आवंटन सही था अथवा गलत था यह बिन्दु मूल वाद में तय होगा, अभी केवल कब्जे के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला जारी की जावे क्योंकि प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया है। प्रकरण में सारी त्रुटि सेटलमैन्ट विभाग की है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी एक अनपढ भूमिहीन काश्तकार है जिसने मेहनत करके इस भूमि को काबिल काश्त बनाया है। अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही कारित होनी है। यदि प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी का दावा ही बेसूद हो जावेगा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रकरण में यह देखना है ... का केस प्रथम दृष्टया बनता है अथवा नहीं। प्रार्थीगण ने अपने वाद की ... कहा है कि नक्शाट्रेस में अंकित ख.न. 187 जो प्रतिवादिनी सं. 1 के खाते ... दुरूस्त कर वादी के खाते के ख.न. 179 एवं 182/1054 का अंकन किया ... ख.न. 187 रकबा 0.96 है, व ख.न. 193 रकबा 0.32 है, वादी के खाते दर्ज ... की घोषणा की डिक्री पारित की जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माननीय ... मण्डल के न्यायिक दृष्टांत RRD 2016 पेज 103 पेश कर कहा कि –

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 224 – विचारण न्यायालय ने ... रेस्पोंडेन्ट का वाद डिक्री किया – अपील में उक्त निर्णय की पुष्टि – मण्डल में ... अपील – अभिनिर्धारित – वाद में भूमि का सीमाज्ञान एवं नक्शाशीट में संशोधन ... अनुतोष चाहा जो धारा 88 के क्षेत्राधिकार में नहीं – उक्त अनुतोष भूराजस्व ... अधिनियम के क्षेत्राधिकार मे है – अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायिक प्रावधान का ... अवलोकन नहीं किया – दोनों न्यायालयों के निर्णय विधि विपरीत होने से निरस्त। ... प्रकार वादीगण द्वारा अपने दावे में जो रिलीफ चाही गई है वह धारा 88, 89, 188 ... टी. एक्ट में प्रदान नहीं की जा सकती। धारा 88 आर. टी. एक्ट के दावे में ... काश्तकारी, सहकाश्तकार, खुदकाश्त तथा उपकृषक के अधिकारों की घोषणा की जा ... सकती है। वादीगण के दावे में चाही गई रिलीफ नक्शा शीट में तरमीम करने की है। ... नक्शा शीट में तरमीम करने का अनुतोष धारा 88 में प्रदान नहीं किया जा सकता। वादी ... प्रकरण में स्वयं खातेदार है जब वादी खातेदार कृषक है तो वह दावा के माध्यम से क्या ... अनुतोष चाहता है। यदि वादी को नक्शाट्रेस अथवा शीट में कोई संशोधन कराना है तो ... लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 128, 131 के अंतर्गत वाद पेश करना चाहिए था।"

प्रस्तुत प्रकरण में वादी को पुराने ख.न. मि0 60 की 8 बीघा आराजी ... आवंटित होना बताकर आया है। पुराने ख.न. 60 का पूरा रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा था ... जबकि प्रतिवादी अप्रार्थीया सं. 1 को पुराने ख.न. 70 की भूमि में से 15 बीघा भूमि ... आवंटित हुई थी। वादी और प्रतिवादी अप्रार्थीया सं. 1 को आवंटित भूमि के बीच मौके ... पर लगभग 10 खेत मौजूद हैं। वादी को 8 बीघा आराजी एक चक के रूप में आवंटित ... की गई थी जिसके ख.न. 179 एवं 182/1054 कायम हुये जो मौके पर आज भी एक ... चक के रूप में है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 179 की भूमि पर जुगलकिशोर पुत्र ... गला कहार का कब्जा है तथा ख.न. 182/1054 पर मौके पर विलायती बबूल खडे हैं ... और किसी का कब्जा नहीं है। वादी ख.न. 179 एवं 182/1054 का रिकार्डेड खातेदार ... है एवं प्रतिवादी अप्रार्थीया सं. 1 ख.न. 187 की रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार वादी ... प्रतिवादी अप्रार्थीया सं. 1 के खाते में दर्ज आराजी को अपने खाते दर्ज कराना चाह रहा ... है अथवा प्रतिवादी अप्रार्थीया सं. 1 के खाते में दर्ज आराजी के खसरा नम्बर 187 एवं ... सिवायचक ख.न. 193 को बदलकर अपने खाते के ख.न. 179 एवं 182/1054 दर्ज

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बांदीकुई (कादा)

Scanned with OKEN Scanner

...हा रहा है इस प्रकार की कोई भी रिलीफ धारा 88 के क्षेत्राधिकार में नहीं आती ...प्रकृति में जो सहायता मूल दावे में ही प्रदान नहीं की जा सकती हो उसे अस्थाई ...में प्राप्त करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है।

DNJ (revenue) 2015 पेज 235 के पैरा 4 में यह सिद्धांत प्रतिपादित ...है कि –

"नक्शे में तरमीम भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान भू-अभिलेख के ...के अंतर्गत ही की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत ...कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री ...अधिकार से बाहर है एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।"

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कहा कि वादी अप्रार्थीगण के ...खाते दर्ज ख.न. 187 एवं सिवायचक ख.न. 193 पर पटवारी हलका द्वारा आवंटन के ...समय कब्जा देना बता रहा है जो कि किसी प्रकार सही नहीं हो सकता क्योंकि यदि ...प्रार्थी को कोई भूमि आवंटित हुई थी तो वह एक चक के रूप में हुई थी वर्तमान में ख. न. 187 एवं 193 के मध्य कई खेत पडते हैं ख.न. 187 एवं 193 एक चक के रूप में नहीं है इसी से प्रार्थी वादी का दावा स्वयं में मिथ्या सिद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है जिससे उसे मौके पर दखल दिया गया और जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थी को ख.न. 187 एव 193 पर दखल दिया गया था।

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने अपनी बहस में आगे कहा कि वादी के अभिवचनों तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर उसके विरूद्ध ख.न. 193 रकबा 0.32 है. की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है। इस प्रकार धारा 212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में जिस भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा चाही है वह सिवायचक दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए। माननीय राजस्व मण्डल ने **RRD** 1986 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि –

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 – प्रथम दृष्टया केस – अधिकारों की घोषणा के बारे में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी का निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र खारिज किया गया जहां तक कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज थी और वादी के विरूद्ध धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही हुई – प्रार्थी का व्यवसाय लीगल नहीं माना जा सकता – अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रथम दृष्टया केस न्यायालय के समक्ष रखे केवल कब्जा पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता।"

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने अपनी बहस में यह कहा कि यदि वादी को यह था कि उसके राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात गलत है तो उसे समय रहते उन्हें करना चाहिए था परन्तु वादी ने वर्ष 1992 में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के से वर्ष 2014 तक उन्हें कभी चैलेन्ज नहीं किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय 1988 (1) WLN.REVENUE.AGE - पेज 138 में यह कहा है कि वादी गलत इन्द्राजात को 20 साल से अधिक समय तक चैलेन्ज नहीं किया गया तो इन्द्राजात को गलत नहीं कहा जा सकता एवं इसी आधार पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने के आदेश को उचित बताया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2013 एवं 25.6.2014 जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत की गई थी का अवलोकन कराते हुए यह कहा कि मौका रिपोर्ट में पटवारी ने यह कहीं नहीं लिखा है कि ख.न. 187 रकबा 1.63 है. जो अप्रार्थीया की खातेदारी में है पर वादी भंवरलाल का कब्जा है अपितु दोनों रिपोर्टों में वादी भंवर लाल का कब्जा होना ग्रामवासियों के अनुसार बताया है जबकि इसी रिपोर्ट में वादी भंवर लाल के नाम दर्ज ख.न. 179 रकबा 0.19 है. एवं 182/1054 रकबा 1.10 है. के कब्जे के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट की है एवं ख.न. 179 पर जुगलकिशोर पुत्र मंगल कहार का कब्जा होना बताया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट से भी वादी का कब्जा सिद्ध नहीं होता है। हां, यह अवश्य सिद्ध होता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज ख.न. 179 पर जुगलकिशोर का कब्जा है एवं ख.न. 182/1054 आज भी पड़त है। प्रकरण में वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद नहीं लाकर वादी के खातेदारी में दर्ज ख.न. 179 के कब्जेधारी जुगलकिशोर के विरूद्ध बेदखली का वाद दायर करना चाहिए था। अधिवक्ता प्रतिवादी ने आगे कथन करते हुए कहा कि अधिवक्ता वादी द्वारा आज कुछ शपथ पत्र इस न्यायालय में पेश किए गए हैं परन्तु वे शपथ पत्र सादा कागज पर हैं तथा नोटेराईज्ड नहीं हैं एवं जो शपथ पत्र नोटेराईज्ड हैं वो व्यक्ति जीवित नहीं है अतः ऐसे व्यक्ति जो जीवित नहीं है उनके शपथ पत्र पढने योग्य नहीं है एवं यदि शपथ पत्रों से ही कब्जा सिद्ध माना जाता है तो प्रतिवादीगण ने भी अपने कब्जे के पक्ष में दिनांक 22.12.2014 को नोटेराईज्ड शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रखे हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने आगे अपनी बहस में कहा कि यदि न्यायालय वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा मान भी लेता है तो भी उसकी हैसियत एक अतिक्रमी से अधिक की नहीं है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार अतिक्रमी के

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए तथा न्यायिक दृष्टांत माननीय
...न उच्च न्यायालय RLW 202 (1) RAJ पेज 58 एवं DNJ 2019 (2) RAJ पेज
पेश कर कहा कि सच्चे स्वामी को निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है जबकि
...व रेकार्ड में प्रतिवादी खातेदार कृषक प्रमाणित है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में यह भी कहा कि वादीगण ने ...के खाते में दर्ज आराजी ख.न. 179 एवं 182/1054 पर अपना कब्जा बताते हुए ...मान में स्टेट बैंक से ऋण भी लिया हुआ है। ऋण लेते समय भी उक्त आराजी पर ...लदार से कब्जे के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। अतः उक्त रहन से भी वादीगण का कब्जा वादीगण को आवंटित ख.न. 179 एवं 182/1054 होना प्रमाणित होता है ना कि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज ख.न. 187 एवं सिवायचक ख.न. 193 पर।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में यह भी कहा कि वादीगण द्वारा आवंटन के समय वादीगण को कहां कब्जा संभलाया गया इसके संबंध में कोई प्रमाण अथवा दखलनामा पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण को प्रतिवादिया को आवंटित भूमि की जगह कब्जा संभलाया गया था। साथ ही यदि वादीगण को यह इल्म हो गया था कि उन्हें जिस जगह कब्जा संभलाया गया है वह भूमि प्रतिवादिया को गलत तरीके से आवंटित कर दी गई है तो उन्हें प्रतिवादिया को किए गए आवंटन को रद्द कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था परन्तु आदिनांक तक भी वादीगण द्वारा आवंटन को चुनौती नहीं दी गई है। यह मामला बेसी आवंटन का अथवा एक ही भूमि के दोहरे आवंटन का नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी को अलग–अलग ख.न. की अलग–अलग भूमि अलग–अलग रकबों में आवंटित हुई जो कि आज भी अलग–अलग रूप में मौके पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वादी को जो भूमि आवंटित हुई वह नक्शे में अथवा मौके पर मौजूद ही ना हो। प्रतिवादिनी एक महिला थी इसलिए वादीगण द्वारा अनुसूचित जाति सूचक मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देकर प्रतिवादिनी को आवंटित उसकी खातेदारी भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की नीयत से यह दावा दायर किया गया है। प्रकरण प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्टया दावा ही चलने योग्य नहीं है तो जिस दावे में चाही गई रिलीफ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना किसी कदर उचित नहीं है। सुविधा संतुलन पूर्णतया प्रतिवादीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपूरणीय क्षति भी प्रतिवादीगण को ही कारित होनी है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रिपीटल में अधिवक्ता वादी ने कहा कि वाद में चाही गई रिलीफ धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट में मिल सकती है अथवा धारा 128, 131 एल. आर. एक्ट में मिल सकती है यह सभी बातें दावे में तय होगी। माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय 1988 (1) WLN.REVENUE.AGE – पेज 138 इस प्रकरण पर लागू नहीं होगा। वादी की लिमिटेशन 2014 से शुरू होगी क्योंकि वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी 2014 में मिली इसलिए 1992 में खातेदारी मिलने के बाद 2014 में केस करने के संबंध में 20 साल बाद वाली रूलिंग वादी पर लागू नहीं होगी।

मैंने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट, शपथ पत्रों एवं न्यायिक दृष्टांतों का गहन मनन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि वादीगण का यह कहना है कि वादीगण के पिता भंवर लाल को दिनांक 12.11.1973 को पुराने ख.न. 60 की 8 बीघा आराजी आवंटित हुई थी एवं प्रार्थीगण को प्रारंभ से जहां कब्जा दिया गया वे आज तक वहीं काबिज है परन्तु सेटलमैन्ट द्वारा जब नए नम्बर कायम किए गए तो वादीगण को आवंटित भूमि के नम्बर गलत कायम कर दिये गये एवं जहां वादीगण कब्जे में है उस जगह प्रतिवादी सं. 1 के नम्बर कायम कर दिये गये। परन्तु दावे की प्लीडिंग तथा जवाबदावे से यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी को क्रमशः पुराने ख.न. 60 एवं 63 में 8 बीघा एवं 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। इससे स्पष्ट है कि सेटलमैन्ट द्वारा नम्बर कायमी में कोई गलती नहीं की गई। यदि ऐसी कोई त्रुटि कारित की गई होती तो नक्शा शीट में अन्य आस–पास के खातेदारान के नम्बर भी डिस्टर्ब हो जाते। यहां वादी को यह साबित करना था कि उसे जहां बाद आवंटन दखल दिया गया वह प्रतिवादी के खाते में दर्ज आराजी पर दिया गया था जो कि केवल दखलनामे से सिद्ध हो सकता है परन्तु दखलनामा अथवा कब्जा संभलाने का कोई दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किया है, साथ ही यह तथ्य भी शंका पैदा करता है कि हलका पटवारी 8 बीघा आवंटित आराजी का कब्जा एकचक के रूप में नहीं संभला कर टुकडों में क्यों संभलाएगा। जहां तक अधिवक्ता वादी द्वारा अपने पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2004 **DNJ (SC)** पेज 263 के अनुसार "यदि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना टाईटल पेश करने में असफल रहा हो परन्तु उस भूमि पर उसका कब्जा हो तो उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। सैटल्ड पजेशन चाहे उसका टाईटल कब्जाधारी के पास ना हो तो भी कब्जा विधि द्वारा प्रोटेक्टेड है।" का प्रश्न है तो उस प्रकरण में दो खातेदारों के मध्य सीमा विवाद था परन्तु हस्तगत प्रकरण में सीमा

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

विवाद नहीं है अपितु वादी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज आराजी को अपने नाम दर्ज कराना चाहता है अथवा नक्शा शीट में नम्बर एक्सचैन्ज कराना चाहता है। जिस प्रकरण की यह नजीर है उस प्रकरण में सीमा विवाद निर्धारित किया जा सकता था परन्तु हस्तगत प्रकरण में चाही गई रिलीफ किसी कदर मूल दावे में धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता को आवंटित भूमि मौके पर उपलब्ध है जिसके कुछ हिस्से पर दीगर काश्तकार का अतिक्रमण है एवं शेष पडत पडी हुई है। अतः प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी के संबंध में धारा 183 आर. टी. एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण यदि प्रतिवादीगण की माता भंवरी बाई को किए गए आवंटन को विधि विरूद्ध मानते हैं तो वे इस आवंटन को निरस्त कराने के लिए भी स्वतंत्र थे। हस्तगत प्रकरण में चाही गई रिलीफ नक्शाट्रेश शुद्धि की है जो कि रा. का. अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती अपितु भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है इसलिए मैं अधिवक्ता प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत हूँ कि वादीगण द्वारा इस वाद में चाही गई रिलीफ धारा 88 आर. टी. एक्ट में प्रदान नहीं की जा सकती। अतः जो रिलीफ मूल दावे में प्रदान नहीं की जा सकती उस पर धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ। प्रार्थी अपना केस प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाया है। प्रतिवादीगण के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण सुविधा संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अपूरणीय क्षति प्रतिवादीगण को कारित होने की संभावना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने के कारण पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहसावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner